

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: **UPFS/2023/97655/MTH/MATHURA/2549/CFO**

दिनांक: **11-10-2023**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **GROUP HOUSING** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **GH 05, RUKMINI VIHAR AWASIYA YOJNA, VRINDAVAN** तहसील - **MATHURA** प्लॉट एरिया **4047.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **11043.43** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	11	0	34.55 mt.
BLOCK B	11	0	34.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **GROUP HOUSING** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **GROUP HOUSING** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : In view of the recommendation reports of fso. The NOC is being issued भवन को प्रयोग मे लाने से पूर्व प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करा कर अग्नि शमन विभाग से निरीक्षण करा कर अंतिम अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(NARENDRA PRATAP SINGH)

[DD6CB06BD3E6F9ABD467DA98CC4D7C67FC311E26]

25-10-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **25-10-2023**

स्थान : **MATHURA**

1. That in terms of section 3(1) of Real Estate (Regulation and Development) Act 2016, we have not booked or sold any units till date for the proposed project under reference.
2. That we have not advertised for the proposed project till date.
3. That in terms of Section 3(1) of Real Estate (Regulation and Development) Act 2016, we will book or sale any units for the proposed project under reference, only after obtaining the RERA Registration No. of the said project from U.P. Real Estate Regulatory Authority.
4. That we have applied land area of the proposed project under reference consisting of Khasra/Plot No. Group Housing GH-05, Rukmani Vihar Awasiya Yojana Sector-1 allotted by Mathura Vrindavan Development Authority, total applied land area 4045.20 SQM. (4045.43 SQM as per MVDA allotment Letter)

That no other project is registered under UP RERA on the same Khasra/Plot No. Group Housing GH-05, Rukmani Vihar Awasiya Yojana Sector-1 or on the area applied for the proposed project under reference.



S. H. Arora
Deponent

Verification

The contents of my above Affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me there from.

Verified by me at 21st day of January, 2024.

The Contents of the affidavit or Document read over to me by *S. H. Arora* who is identified by *S. H. Arora* & on oath attested today *21/01/24* at my office & entered in my notarial register at NO. *21/01/24* and charged fees *21/01/24*

S. H. Arora
Deponent

RAVI KANT DUVEY
Notary Civil Campus /